# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा

बिरला बनाम इन्द्राज वगैरा

नं _____ सन् _____

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए । |
|---|---|---|
| 22/2 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्ट्रा दिनांक 1-2-21 को पेश हो। | |
| 1/2 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्ट्रा दिनांक 15/2/21 को पेश हो। | |
| 15/2 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्ट्रा दिनांक 22/2/21 को पेश हो। | |
| 22/2/21 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। फैसल वास्ते आदेश हेतु दिनांक 26-2-21 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा | |
| 26-2-21 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किये जाने पर आदेश दिया जाना है। प्रार्थना पत्र [illegible] अर्जी सं० 142 के वर्णित तथ्यों का अवलोकन [illegible] दौरान बहस वकील प्रार्थिया ने [illegible] के वाद [illegible] खसरा नं० 1255 रकबा 2.94 है० [illegible] खसरा रकबा 1.47 है० के प्रार्थिया के [illegible] नहीं की गई। [illegible] सेवा रिकार्ड की पत्रावलियां बनाये रखी। वकील अर्जी सं० 142 के दौरान बहस कथन किया है कि अर्जी वादकार अस्तियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने जारी नहीं रह सकती है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:54:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज |
|---|---|
| | वकील प्रतिवादी की तरफ पर पक्ष करके उपस्थित एवं वादिनी के प्रतिलेख उपरान्त न्यायालय पर सुनवाई के पश्चात वाद दायर तारीख के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसके विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रखने से वे अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। रिकार्डेड खातेदार सरकार के विरुद्ध वादग्रस्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सुविधा का संतुलन अस्थायी प्रकृति के बिन्दु भी अदालत के एक मे जाते है। प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजिशात मे एक हिस्से के बिन्दु तो प्रथम वाद पत्र मे साक्ष्य सहित आने पर तय होने है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पक्षकारी फैसला शुमार होकर मुकदमे के कब्जे की जाकर वाद तकमील जाबता दारवीस रुजूह हो। |

अतिरिक्त अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:54:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner